बिल का सारांश

गोवा इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी विकास (संशोधन) बिल, 2023

- गोवा इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी विकास (संशोधन) बिल, 2023 को 10 अगस्त, 2023 को गोवा विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल गोवा इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी विकास एक्ट, 2007 में संशोधन करता है। एक्ट गोवा में इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) टाउनशिप्स और पार्क्स की स्थापना को रेगुलेट करता है।

- **आईटी टाउनशिप्स/पार्क्स को विकसित करने के लिए समिति**: एक्ट के तहत राज्य सरकार के पास किसी क्षेत्र को इंटिग्रेटेड आईटी टाउनशिप या आईटी पार्क के तौर पर अधिसूचित करने की शक्ति है। बिल में एक समिति की स्थापना का प्रावधान है जोकि आईटी टाउनशिप्स या पार्क्स के विकास के लिए भूमि विकास और भवन निर्माण हेतु आवेदनों की समीक्षा करेगी और उन्हें मंजूरी देगी। समिति के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अध्यक्ष के तौर पर गोवा इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी विकास निगम के प्रबंध निदेशक, (ii) निगम द्वारा नामित एक आर्किटेक्ट, (iii) निगम के इंजीनियरिंग सेक्शन का प्रमुख/चीफ इंजीनियर, और (iv) राज्य सरकार द्वारा नामित एक अधिकारी।

- **समिति के कार्य**: समिति नॉन प्लानिंग क्षेत्र में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के चीफ टाउन प्लानर के सारे कार्य करेगी। वह प्लानिंग एरिया में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी सारे काम करेगी। अगर कोई व्यक्ति समिति के फैसलों या आदेशों से पीड़ित है तो वह गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोर्ड से अपील कर सकता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अर्पिता मलिक
arpita@prsindia.org

7 नवंबर, 2023